

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 24/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 मई, 2018

सा.का.नि. (अ)-आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 83 के उपनियम (3) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को, उक्त उपनियम के अनुसार परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करते हैं।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार